

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
प्राधिकरण, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
3. उपाध्यक्ष,
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।
3. उपाध्यक्ष,
समस्त जिला स्तरीय विकास
प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 06 अक्टूबर, 2021।

विषय: महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1895/V/आ0-2016-11(एलू0यू0सी0)/03-2016, दिनांक: 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या-1196/V-2/11(एलू0यू0सी0)/03-2016, दिनांक: 06.09.2019 द्वारा महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

2- महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में विभिन्न स्तरों पर हुए व्यापक विचार-विमर्श के अनुक्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में उल्लिखित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरें: भू-खण्ड पर सर्किल रेट का प्रतिशत

क्र. सं.	महायोजना में भू-उपयोग	कृषि एवं हरित क्षेत्र	परिवहन एवं संचार	मनोरंजन एवं पर्यटन	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	आवासीय	औद्योगिक	व्यावसायिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं हरित क्षेत्र	—	10	10	15	15	15	15
2	परिवहन एवं संचार	—	—	10	15	15	15	15
3	मनोरंजन एवं पर्यटन	—	—	—	15	15	15	15
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	—	—	—	—	15	15	15

5	आवासीय	-	-	10	10	-	1-सूक्ष्म उद्योग-20 2-लघु, मध्यम एवं बृहद उद्योग-100	15
6	औद्योगिक	-	-	10	10	15	-	15
7	व्यवसायिक	-	-	-	-	-	-	-

3- शासनादेश सं०-1895/V/आ०-2016-11(एल०यू०सी०)/०3-2016, दिनांक: 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या-1196/V-2/11(एल०यू०सी०)/०3-2016, दिनांक: 06.09.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या- /V-2/2021-11(एल०यू०सी०)/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 4- निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(चिरंजी लाल)
अनु सचिव